न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–सप्तम्, सिवान

B.P. No.731/2026

दीपक सिंह उर्फ दीपक कुमार बनाम बिहार सरकार

[महाराजगंज थाना कांड संख्या– 450/2025]

आदेश

30.06.2026 आवेदक/अभियुक्त **दीपक सिंह उर्फ दीपक कुमार** की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या–731/2026, महाराजगंज थाना कांड संख्या–450/2025, अंतर्गत धारा– 103/3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–27 आयुध अधिनियम में आवेदक की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि आवेदक से संबंधित कुछ जरूरी कागजात अभी उपलब्ध नहीं है जो जमानत आवेदन की सुनवाई के लिए आवश्यक है इसलिए उपरोक्त आवेदक उपरोक्त जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते है। अतः आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को वापस लेने का प्रार्थना किया गया। उक्त आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्राप्त कराई गई है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक की ओर से दाखिल आवेदन का विरोध नहीं किया गया।

उभय पक्ष को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि आवेदक से संबंधित कुछ जरूरी कागजात अभी उपलब्ध नहीं है जो जमानत आवेदन की सुनवाई के लिए आवश्यक है जिस कारण जमानत आवेदन को आवेदक वापस लेना चाहता हैं जिस पर अभियोजन की तरफ से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अपने तर्क में कहा गया कि यदि आवेदक अपना जमानत आवेदन वापस लेना चाहते हैं तो उसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष के तर्कों के आलोक में तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में आवेदक द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन वापस लिए जाने के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

ह0/–

(राजेश कुमार त्रिपाठी)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम्, सिवान।

दिनांक 30.06.2026